"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2002—आषाढ़ 26, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-15/2002/वाक/पांच (83).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा,

(1) इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-15/2002/वाक/पांच (82) दिनांक 16-7-2002, 1-7-2002 से निरस्त की जाती है.

(2) नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 1-7-2002 से 31-3-2003 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है. (4)
1.	एल्युमिनियम के सभी उत्पाद-प्राइमरी और सेकेन्ड्री.	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब भारत एल्युमिनियम कं. लि., कोरबा द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2002

क्रमांक एफ-10-15/2002/वांक/पांच (83).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-15/2002/वाक/पांच (83), दिनांक 17-7-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 17th July 2002

NOTIFICATION

No. F-10-15/2002/CT/V (83).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby,

(1) recinds this department's Notification No. F-10-15/2002/CT/V (82) dt. 16-7-2002 with effet from 1-7-2002.

(2) exepmts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from 1st July, 2002 to 31st March, 2003 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exmption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	All products of Aluminium-primary and secondary.	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (1) of Section 8 to 2%.	When manufactured and sold by Bharat Aluminium Co. Ltd., Korba.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.